संख्याः 1418/VII-II-11/12–उद्योग/2006

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 जून, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः860उ0नि0(दो)–13/बजट–मॉग/2011–12 दिनांक 25 मई, 2011 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में **औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजनान्तर्गत**, प्राविधानित धनराशि **₹ 25.00 लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, तथा यह व्यय किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा, तथा व्यय विवरण प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2012 तक कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत की गयी धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के विपरीत यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे दिनांक 31.3.2012 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जनपदों से सम्बन्धित धनराशि तत्काल जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत पूर्ण उपयोग करें।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोधोग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102– लघु उद्योग, 15–औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना,–00–, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1418/VII-II-11/12–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।